न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 243/17 निर्णय दिनांकः 04-03-2024
(जीसीएमएस संख्या 2017/00365)

1. अजीज खॉ पुत्र गुलामकादर जाति मुसलमान निवासी गांव सियासर पचकोसा हाल आबाद चक 3 एमडीडब्ल्यूएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र औंकार सिंह जाति राजपूत निवासी गांव लूणखॉ तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 244/17
(जीसीएमएस संख्या 2017/00458)

1. अजीज खॉ पुत्र गुलामकादर जाति मुसलमान निवासी गांव सियासर पचकोसा हाल आबाद चक 3 एमडीडब्ल्यूएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. श्री शिवसिंह पुत्र औंकार सिंह जाति राजपूत निवासी गांव लूणखॉ तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

अपीलें विरूद्ध आज्ञा दिनांक 04—11—2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः—

1. श्री गिरधारीलाल रामावत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 04–11–2016 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

2. दोनों अपीलों में निस्तारण हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही कॉमन निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने दोनों पत्रावलियों पर अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 3 एमडीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 184/21 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि व मुरब्बा नम्बर 185/29 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा इस प्रकार कुल 50 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 29–01–1985 को बतौर भूमिहीन श्रेणी में किया गया था। तभी से उक्त भूमि पर अपीलांट् का कब्जा निरन्तर चल आ रहा है। अपीलांट् को वादग्रस्त भूमि के आवंटन के पश्चात् संबंधित पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था तथा अपीलांट् द्वारा आराजी जैर के बाबत् तमाम राशि तहसील की टीआरए शाखा में खाता खोलते हुए जमा करवाई जा चुकी थी। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के आवंटन की तमाम कार्यवाही अपीलांट् के पक्ष में हो चुकी थी। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि अपीलांट् की आक्यूपाईड लैण्ड होने के कारण किसी भी तरह से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि नहीं होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है तथा उक्त आवंटन करने से पूर्व अपीलांट् जोकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत आवंटि रहा है को किसी प्रकार का कोई

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व मौके की स्थिति की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है, यदि तत्समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाती तो यह स्थिति स्वमेव न्यायालय के समक्ष आ जाती कि उक्त भूमि अपीलांट् को आवंटित भूमि है तथा अपीलांट् का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत से किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉं मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 1999 पेज 158, आरआरडी 1994 पेज 606, आरआरडी 1994 पेज 604, आरआरडी 1991 पेज 218 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5\. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि विशेष आवंटन हेतु वर्ष 1999 के गजट में प्रकाशित भूमि रही है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त यह पाये जाने पर वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज भूमि है तथा विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित भूमि है, के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन बतौर विशेष आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को किया गया है। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मौके पर ही वादगत् भूमि की निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवा दी गई थी तथा शेष राशि कालान्तर में जमा करवाते हुए वादगत् का कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के बाबत् तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा वर्तमान में आराजी जैर रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त की भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। चूंकि वादग्रस्त भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित भूमि है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि बतौर भूमिहीन श्रेणी में अपीलांट् को प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट्स के आवंटन को बहाल रखा जावे।

मियाद के संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित होने के करीब 08 माह उपरान्त उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर अपील है। अपीलांट् द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है, वह 08 माह के विलम्ब की अवधि को कण्डोन करने के युक्तियुक्त कारण नहीं होने से अपीलांट् की अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

8. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–11–2016 के विरूद्व अपील 05–07–2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा एवं अपीलांट् को नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पीठ पीछे पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को शमन किया जाता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

प्रस्तुत मामलें में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि के बतौर विशेष आवंटन में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को किया गया है। अपीलांट् का प्रस्तुत अपील के माध्यम से मुख्य आपत्ति यह है कि उक्त भूमि अपीलांट् को बतौर भूमिहीन श्रेणी में वर्ष 1985 में आवंटित भूमि होने के कारण अपीलांट् की आक्यूपाईड लैण्ड है। इस संबंध में हमनें पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलांट् को बतौर भूमिहीन श्रेणी में वर्ष 1985 में किया गया था। उक्त आवंटन के पश्चात् अपीलांट् द्वारा आराजी जैर पर अपना कब्जा प्राप्त कर लिया गया है, के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा पटवारी रिपोर्ट/खसरा गिरदावरी आदि पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है। जिससे यह साबित हो सके कि आराजी जैर पर आवंटन के पश्चात् अपीलांट् का कब्जा काश्त रहा हो। इसी प्रकार अपीलांट् को उक्त भूमि वर्ष 1985 में आवंटित हुई थी तथा रेस्पोडेन्ट्स को आराजी जैर का आवंटन वर्ष 2016 में किया गया है। इस प्रकार विगत् 31 वर्षो तक अपीलांट् द्वारा अपने आवंटन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं करवाया जाना इस तथ्य को इंगित करता है कि अपीलांट् स्वयं अपने अधिकारों के प्रति सावचेत नहीं रहे है। वादग्रस्त भूमि के बाबत् सर्वप्रथम तो अपीलांट् अपने कब्जे काश्त को साबित करने में असफल रहे है तथा वहीं दूसरी तरफ अपने आवंटन का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं करवाये जाने से वादग्रस्त भूमि राजस्व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रिकार्ड में आराजीराज दर्ज रिकार्ड होने व कालान्तर में वर्ष 1999 में विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित होने के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को किया गया है। प्रकरण में चूंकि आराजी जैर वर्ष 1999 में बतौर विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित भूमि है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन श्रेणी में नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि के आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स द्वारा तमाम राशि खजानाराम में जमा करवाई जा चुकी है तथा आराजी जैर पर तमाम अधिकार रेस्पोडेन्ट्स के उत्पन्न हो चुके है। लिहाजा अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की दोनों अपीलें खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 04—11—2016 यथावत बहाल रखे जाते है।

10. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 4/3/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर